**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 703**
**दिनांक 04 दिसंबर 2025**

**ओएनजीसी के कुँओं से प्राकृतिक गैस की चोरी**

703. **श्री तनुज पुनियाः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में ओएनजीसी के कुँओं से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की चोरी का मामला सामने आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) और (ख): सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में ओएनजीसी के केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 और गोदावरी पीएमएल ब्लॉकों तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक से जुड़ी गैस-विस्थापन के मुद्दे पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.पी. शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरआईएल ने विस्थापित गैस का उत्पादन किया और तद्नुसार अनुचित रूप से स्वयं को समृद्ध बनाया। तद्नुरुप, सरकार ने उत्पादित और विक्रीत विस्थापित गैस से संबंधित आय की प्रतिपूर्ति और वसूली की माँग की।

आरआईएल ने इस माँग के विरुद्ध मध्यस्थता का सहारा लिया और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष उक्त निर्णय के विरुद्ध सरकार की चुनौती खारिज कर दी गई। तथापि, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश और मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय, दोनों को रद्द करते हुए सरकार की अपील स्वीकार कर ली। संविदाकारों ने तब उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है, जोकि लंबित है।

*****